51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2048–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–5–2012 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 125/अपील/2010–11.

.....

जसवंत सिंह दत्तक पुत्र चैनसिंह(आ0नन्हूसिंह)
निवासी बैहराखेडी तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

1–अमृतलाल वल्द नन्हूसिंह
निवासी एस0पी0कालोनी, बजरंग मंदिर के बाजू में,
होशांगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद
2–करतारसिंह वल्द नन्हूसिंह
निवासी मुख्य जिनसी चौराहा जहॉगीराबाद भोपाल
3–रामकुंअर बाई पुत्री चैनसिंह पत्नि कन्हैयालाल
निवासी कलमेसरा तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–5–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के पिता नन्हूसिंह तथा अनावेदिका कमांक 3 के संयुक्त स्वामित्व की ग्राम बैहराखेडी तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे नम्बर 128 रकबा 5.61 एकड़ थी । नन्हूसिंह की मृत्यु के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर उसके पुत्र अमृतलाल, जसवंत, करतारसिंह व पत्नी गिंदियाबाई का नाम रामकुंअर बाई के

साथ राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–6/1980–81 दर्ज कर दिनांक 8–7–1981 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर केवल आवेदक का नाम दर्ज करते हुये शेष सहखातेदारों का नाम राजस्व अभिलेखों में कम किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–4–2011 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 2–5–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 1–3–17 को आवेदक की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अनावेदक कमांक 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये । अतः प्रकरण के निराकरण में आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों व अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क पर विचार किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील संहिता की धारा 47 के उल्लघंन में अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी को सर्वप्रथम अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 व 2 के द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पैतृक नहीं होकर चैनसिंह की स्वअर्जित भूमि थी, इसलिये अनावेदक कमांक 1 व 2 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(5) अनावेदिका कमांक 3 द्वारा आवेदक को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया गया था, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का पूर्ण स्वत्व है और अनावेदक कमांक 1 व 2 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । अंत में निगरानी मेमों में उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाकर व तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा रामकुंअर बाई को अनावेदिका कमांक 3 के रूप संयोजित किया गया है, जबकि उसकी मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो चुकी है, इस कारण पक्षकार के कुसंयोजन का दोष होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदक द्वारा उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि तहसीलदार के आदेश की कार्बन प्रति प्रस्तुत की गई है क्योंकि वास्तविक रूप से तहसील न्यायालय का अभिलेख नष्ट कर दिया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का निराकरण किया गया है, इसलिये इस संबंध में भी उठाया गया आधार उचित नहीं है।

(5) संहिता में हुये संशोधन में स्पष्ट प्रावधानित है कि वर्ष 2011 के पूर्व के प्रकरणों में उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी कि संहिता में संशोधन नहीं हुआ है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 व 2 एवं 3 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज था । अतः आवेदक द्वारा तथ्य छिपाकर केवल अपना नाम राजस्व

अभिलेखों में अंकित करा लिया गया था, जिसे निरस्त करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है तथा वह प्रश्नाधीन भूमि पर अपना स्वत्व साक्ष्य से सिद्ध कर सकता है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8–4–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 8–7–1981 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि आयुक्त द्वारा की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 23–10–2012 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है और उसकी अपील भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–1–14 को निर्णित की जा चुकी है । अतः यह निगरानी निरर्थक हो जाने से निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर